क्र.पोमसं/९(NGO)/पं.गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना/३२०/२०१८, मुंबई,दि.१७/०९/२०१८

संदर्भ:- पोलीस संशोधन अणि विकास विभाग, नवी दिल्ली (BPR & D) यांचे पत्र क्र.३७/२/२०१९-हिन्दी, दिनांक २०/०८/२०१८

विषय:- पंडीत गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना २०१८-१९.

*****

परिपत्रक :-

यासोबत संदर्भाधीन पत्राची प्रत सहपत्रांसह जोडण्यात आली आहे.

पोलीस संशोधन अणि विकास विभाग, नवी दिल्ली (BPR & D) यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये **"पुलिस, कारागार, प्रशासन, अपराधशास्त्र तथा न्यायालयिक विज्ञान"** यासंबंधित विषयावर हिन्दीमधील उत्कृष्ट लेखनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी **पंडीत गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना २०१८-१९** चालविण्यात येत असुन त्यासाठी दिनांक ३०/०९/२०१८ पर्यंत नामनिर्देशन पाठविणेबाबत कळविले आहे

तरी खालील घटक प्रमुखांना विनंती करण्यात येते की, उपरोक्त विषयाबाबत नामनिर्देशन पाठवावयाचे असल्यास, विहित नमुन्यातील नामनिर्देशन दिनांक २५/०९/२०१८ किंवा त्यापूर्वी पोहचतील अशा बेताने या कार्यालयास पाठविण्यात यावे.

(संदीप विश्नोई)
अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना)
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकरिता

प्रति,

महासंचालक, अे. सी. बी., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
सर्व पोलीस आयुक्त,
अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, म. राज्य, पुणे
आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
संचालक व अपर पोलीस महासंचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, म. राज्य, पुणे
अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, म. रा. मुंबई / लोहमार्ग, म. रा. मुंबई / प्रशिक्षण व खास पथके, म. रा. मुंबई / वाहतुक, म. रा. मुंबई / रा. रा. पो. बल, म. रा. मुंबई / दहशतवाद विरोधी पथक, म. रा., मुंबई
सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक (परिक्षेत्रीय / महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग, म. राज्य, मुंबई / मोटार परिवहन पुणे / रा.रा.पो.बल पुणे / नागपूर / महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, वडाची वाडी, पुणे / न. वि. अ. नागपूर / फोर्स वन)
पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र
सर्व पोलीस अधीक्षक (जिल्हा / रेल्वे / बिनतारी संदेश)
सर्व समादेशक, रा. रा. पो. बल गट १ ते १६
सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये
प्राचार्य, गु. अ. प्र. वि. नाशिक
प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर

प्रत :- पोलीस उपअधीक्षक, संगणक कक्ष
२. यांनी सदरील परिपत्रक महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे.

सं0 37/2/2018-हिन्दी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

राष्ट्रीय राजमार्ग - 8
महिपाल पुर
नई दिल्ली-110037

पो. अ. सं. म. रा. मुंबई
24 AUG 2018
118853/2018
आवक क्रमांक

दिनांक : 09 अगस्त, 2018

सेवा में,

19. पुलिस महानिदेशक,
महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय,
मुबई, महाराष्ट्र

विषय - पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना 2018-19 ।

महोदय,

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,(गृह मंत्रालय) द्वारा वर्ष 1982 से पुलिस,कारागार प्रशासन,अपराधशास्त्र तथा न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिन्दी में उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा देने के लिए **पं0 गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना** चलाई जा रही है । इस योजना के अंतर्गत हिन्दी में उपलब्ध उपरोक्त विषयों पर अच्छे लेखकों की हिन्दी रचनाओं को शामिल करने हेतु इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए । इससे न केवल राजभाषा हिन्दी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा बल्कि पुलिसकर्मियों के साथ-साथ आम जनता को पुलिस से संबंधित विषयों की हिन्दी में भरपूर जानकारी प्राप्त हो सकेगी । इस पत्र के साथ इस योजना की विस्तृत जानकारी संदर्भ हेतु संलग्न है ।

अतः अनुरोध है कि आप इस सूचना को **अपने कार्यालय व सभी अधीनस्थ कार्यालयों में जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से नोटिस बोर्ड आदि पर लगवाकर प्रचारित करवाने की कृपा करें । साथ ही अपने विभाग से प्रकाशित होने वाली पत्र/पत्रिका में भी इस सूचना को प्रकाशित करवाने का कष्ट करें ।** इससे न केवल आपके विभाग में छुपी लेखन प्रतिभाओं को उजागर करने का मौका मिलेगा बल्कि बदलते परिवेश में पुलिस की विभिन्न समस्याओं के निराकरण का अवसर भी प्राप्त हो सकेगा । योजना में प्रविष्टियां भेजने की **अंतिम तिथि 30.9.2018** है ।

भवदीय

(ए.के. विद्यार्थी)
सहायक निदेशक (एसपीडी)

संलग्न - उपरोक्त

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय)

- पुलिस से संबंधित हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा न्यायालयिक विज्ञान, कारागार, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस प्रशासन, पुलिस अन्वेषण, अंगुलिछाप, अपराध शाखा तथा पुलिस से संबंधित अन्य विषयों पर हिन्दी में उत्कृष्ट मूल पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए सृजनशील लेखकों और अनुवादकों को उपर्युक्त योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है।

2. इस योजना के निम्नलिखित दो भाग हैं-

भाग-1 -पुलिस से संबंधित विषयों पर हिन्दी की प्रकाशित पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ।

(1) मूल पुस्तकें - **30,000/-30,000/-** रूपये तक के **पांच** पुरस्कार । इन पांच पुरस्कारों में से एक पुरस्कार महिला लेखक के लिए आरक्षित है । बशर्ते उनकी रचनाएं उपलब्ध हों ।

(2) अनूदित हिन्दी पुस्तकें **-14,000/-14,000/-** रूपये तक के दो पुरस्कार । (एक महिला लेखकों के लिए आरक्षित है बशर्ते कि उनकी रचना प्राप्त हुई हो)

भाग-2 - ब्यूरो पुलिस से संबंधित किसी विषय पर पुस्तक लिखवाने के लिए प्रति वर्ष **40000/- रूपये** तक का एक पुरस्कार प्रदान करता है जिसके लिए लेखक को इस विषय पर क्या-क्या सामग्री शामिल करनी है का उल्लेख अपनी रूपरेखा के द्वारा करना होगा । इसके लिए इस वर्ष विषय है-

''साइबर फोरेंसिक'' ।

इसी भाग के अंतर्गत एक पुरस्कार **40,000/-रू.** का (केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है) के लिए **''बंदी कल्याण एवं निःशुल्क कानूनी सहायता''** विषय पर रूपरेखा आमंत्रित की जा रही है -

(1) इस पुरस्कार योजना में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं ।

(2) योजना के प्रथम भाग में वे सभी पुस्तकें शामिल की जाएंगी जो **31.12.2017** तक प्रकाशित हुई हैं ।

3. भाग- 1 के लिए पांडुलिपियां भी प्रविष्टि के रूप में भेजी जा सकती हैं परन्तु यदि विचार करने के बाद इन्हें पुरस्कार के लिए अनुमोदित किया गया तो पुरस्कार राशि केवल पांडुलिपि के प्रकाशन के बाद ही दी जाएगी । प्रकाशन करवाने की व्यवस्था स्वयं लेखक/अनुवादक को करनी होगी । भाग-2 के अन्तर्गत निर्धारित विषय पर लिखित व पुरस्कृत पुस्तक के प्रकाशन का निर्णय मूल्यांकन समिति स्वयं करेगी ।

4. पुस्तकों/पांडुलिपियों की तीन-तीन प्रतियाँ निर्धारित संलग्न प्रपत्र के साथ इस ब्यूरो को भेजी जाएंगी । ये पुस्तकें / पांडुलिपियाँ वापिस नहीं की जाती हैं ।

5. पुस्तकें लगभग 150 पृष्ठों की अवश्य होनी चाहिए ।

6. योजना के भाग -2 के लिए आवश्यक है कि लेखक उपर्युक्त विषय पर विस्तृत रूपरेखा और अपने बायोडाटा की तीन-तीन प्रतियां भेजें ।

7. इस योजना में वे पुस्तकें शामिल नहीं की जाएंगी जिन पर पहले ही भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सरकारी एजेंसी द्वारा कोई पुरस्कार प्रदान किया जा चुका हो अथवा इसके लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई हो ।

8. योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें /रूपरेखाओं का मूल्यांकन एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम और बाध्य होगा । यदि समिति निर्णय लेती है कि कोई पुस्तक अपेक्षित स्तर की नहीं है तो उसे अधिकार है कि वह कोई भी पुरस्कार घोषित न करे अथवा पुस्तक के स्तर को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार की राशि कम कर दे ।

9. किसी भी लेखक को, जिसने इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त किया है, वह आगामी **तीन वर्ष** के लिए पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा ।

10. भेजने की अंतिम तारीख -

उपर्युक्त संदर्भ में पुस्तक अथवा पांडुलिपि अथवा रूपरेखाएं ब्यूरो के कार्यालय में **30.9.2018** तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए ।

11. कृपया विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें -

संपादक हिन्दी,
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
एन-एच 8, एस.एस.बी. कार्यालय के निकट,
महिपालपुर, नई दिल्ली-110037
मो.-9868250923

(यह विज्ञापन वर्ष **2018-19** के लिए है)

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना 2018-19

प्रपत्र

1 पुस्तक का नाम व विषय --

2. पुस्तक का संस्करण व वर्ष ---

3. लेखक/अनुवादक का नाम और पूरा पता ------------------------------------

टेलीफोन/मोबाईल नं एवं ईमेल पता ....

4. प्रकाशक का नाम और पता ---

5. रायल्टी पाने वाली संस्था : अथवा व्यक्ति का नाम व पूरा पता ---

6. (क) क्या यह रचना मूल अथवा अनूदित है--

(ख) क्या अनूदित कृति है तो मूल पुस्तक और उसके लेखक और प्रकाशक का पूरा पता -------------------------
--------------- --- ---

7. प्रमाणित किया जाता है कि यह अनूदित कृति है तथा इसके लेखक और प्रकाशक से हिंदी अनुवाद तथा प्रकाशित करने की अनुमति ले ली गई है ।

8. प्रमाणित किया जाता है कि इस पुस्तक की मूल कृति, अनुवाद अथवा पांडुलिपि पर भारत, किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा परिचालित कोई पुरस्कार अथवा किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई हैं ।

दिनांक -

हस्ताक्षर (लेखक/अनुवादक)